केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 225/टीएल/2024 दिनांक: 17.10.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी 105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110021 द्वारा "आरटीएम रूट पर करूर पीएस पर 2x500 एमवीएए 400/230केवी ट्रांसफॉरमेशन क्षमता (तीसरी और चौथी आईसीटी)" (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) के संवर्द्धन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	योजना का नाम और कार्यान्वयन टाइमफ्रेम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	टिप्पणी
1	करूर पीएस पर 2x500 एमवीए, 400/230केवी ट्रांसफॉरमेशन क्षमता (तीसरी और चौथी आईसीटी) का संवर्द्धन अस्थायी कार्यान्वयन टाइमफ्रेम: 18 मास	115	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा आरटीएम के अधीन कार्यान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित

योजना का विस्तृत क्षेत्र नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	पारेशण योजना का क्षेत्र	क्षमता/किलोमीटर
1	करूर पीएस पर 2x500 एमवीए, 400/230केवी ट्रांसफॉरमेशन क्षमता (तीसरी और चौथी आईसीटी) का संवर्द्धन	i. 500 एमवीएए 400/230 केवी आईसीटी – 2 नं. ii. 400 केवी आईसीटी बे – 2 नं. iii. 230 केवी आईसीटी बे – 2 नं.

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 17.7.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका स. 225/टीएल/2024 में दिनांक 16.10.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. **करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.adanienergysolutions.com** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रिया विधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **1.11.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **5.11.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव